बिहार लोक सेवा आयोग
15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

साक्षात्कार कार्यक्रम

स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अन्तर्गत राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना में विभिन्न विषयों में व्याख्याता के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित वि.सं. 41/2017, 44/2017, 45/2017, 46/2017 एवं 03/2018 का साक्षात्कार कार्यक्रम एवं निदेश:–

दिनांक एवं दिन	विज्ञापन संख्या एवं पदनाम	प्रथम पाली (समयः 10.30 बजे पूर्वाह्न से)	द्वितीय पाली (समय 2.30 बजे अपराह्न से)
		उम्मीदवारों का अनुक्रमांक	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
25.10.2018 वृहस्पतिवार	वि॰सं॰ 41/2017 व्याख्याता, इलमुल अमराज	410001, 410007, 410008 एवं 410009	xxx
	वि॰सं॰ 46/2017 व्याख्याता, मोआलेजात	xxx	460001, 460007, 460008 एवं 460009
	वि॰सं॰ 45/2017 व्याख्याता, कुल्लियात	450001, 450004 एवं 450006	xxx
	वि॰सं॰ 03/2018 व्याख्याता, तहफ्फूजी–व–समाजी तिब्ब विभाग	xxx	300002, 300003, 300006, 300007, 300008 एवं 300010
26.10.2018 शुक्रवार	वि॰सं॰ 44/2017 व्याख्याता, अमराजे निश्वाँ–व–अतफाल	xxx	440001, 440008, 440009 एवं 440010

2. उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के साक्षात्कार पत्र **साक्षात्कार के प्रारम्भ होने की तिथि से एक सप्ताह पूर्व** से ही आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे जिसे अपना अनुक्रमांक डालकर डाउनलोड किया जा सकता है। **साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। उक्त वेबसाईट पर 1. आवेदन पत्र का सार प्रपत्र–I एवं 2. परीक्षावार प्राप्तांक एवं प्रतिशत का विवरण प्रपत्र–II भी उपलब्ध रहेंगे जिन्हें भरकर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दिन लाना अनिवार्य है।**
3. शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी निम्नलिखित परीक्षाओं के अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि (डिग्री आदि का), अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र, तथा जन्म तिथि का साक्ष्य (Proof of Date of Birth) मूल में तथा उनकी दो छायाप्रतियाँ साथ में अवश्य लेते आयें :–
   - (i) जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र।
   - (ii) बी.यू.एम.एस. के सभी सत्रों के उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण परीक्षाओं के अंक पत्र।
   - (iii) बी.यू.एम.एस. उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र।
   - (iv) सम्बन्धित/सम्वर्गी विषय में MD/MS की उपाधि प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
   - (v) सरकारी शैक्षणिक क्षेत्र में संविदा नियुक्ति के आलोक में कार्यानुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र (केवल बिहार राज्य के चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में संविदागत कार्यानुभव ही मान्य होगा)।
   - (vi) (a) मान्यताप्राप्त पत्रिकाओं (जर्नलों) में प्रकाशित मौलिक लेख एवं जर्नल की प्रति।
     (b) जर्नल के मुख्य लेखक के प्रमाण के लिए उस विषय के प्रभारी प्राध्यापक अथवा विभागाध्यक्ष जिसके अधीन वह अपना लेख (पेपर) तैयार किया है, से इस आशय का प्रमाण पत्र की प्रति।
   - (vii) इन्टर्नशीप प्रशिक्षण सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
   - (viii) बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद्, बिहार, पटना में अद्यतन निबंधन एवं आयुर्वेदिक में स्नातकोत्तर योग्यता परिषद् के राज्य पंजी में सम्मिलित सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
   - (ix) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र **(महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है)।**
   - (x) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र– **(महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है)।**
   - (xi) निःशक्तता (विकलांगता) प्रमाण पत्र।
   - (xii) राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता/पोती/नाती/नतिनी होने का तत्सम्बन्धी सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र।
   - (xiii) बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत् चिकित्सक होने सम्बन्धी सरकारी अधिसूचना प्रमाण पत्र (केवल अधिकतम उम्र के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार हेतु)।
   - (xiv) पहचान पत्र (फोटो युक्त) की प्रति।
4. योग्यता एवं अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के पूर्व का ही होना आवश्यक है।
5. **सभी वांछित प्रमाण पत्र साक्षात्कार की तिथि को ही समर्पित करना अनिवार्य है। साक्षात्कार के उपरान्त कोई भी प्रमाण पत्र जमा करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।**
6. सभी उम्मीदवार अपने साक्षात्कार के दिन साक्षात्कार पत्र के अलावे अपना एक फोटोयुक्त पहचान पत्र, यथा – मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, इत्यादि मूल में एवं इसकी दो स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।
7. **साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे आवेदकों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। साक्षात्कार में शामिल होने मात्र से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।**
8. सम्बन्धित उम्मीदवार उक्त साक्षात्कार कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।

4.10.18

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना